The proactive dicloser documents as per section 4B(I-XVII) of Right to information Act-2005

i. संगठन (विभाग), दायित्व एवं कर्तव्यः–

संगठन(विभाग)	–	उद्योग विभाग, उ0प्र0 सरकार का जिला स्तरीय कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर है।
दायित्व एवं कर्तव्य	–	जनपद के औद्योगिक विकास के साथ–साथ औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु सभी प्रकार के इकाईयों व संगठनों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रेरक की भूमिका का निर्वहन करना।

ii. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्यः–

जिला उद्योग केन्द्र में कार्यों के निर्वहन व सम्पादन हेतु महा प्रबन्धक, (कार्यालय अध्यक्ष), प्रबन्धक(तकनीकी), प्रबन्धक (ऋण), प्रबन्धक(विपणन) क्षेत्रीय अधिकारी सहायक प्रबन्धक, सांख्यकीय सहायक, अन्वेषक कम संगणक व कार्यालय स्टाफ की व्यवस्था होती है, जो महा प्रबन्धक के मार्गदर्शन व निर्देशन में कार्य करते हैं।

महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को जनपद में स्थापित एवं इच्छुक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम श्रेणी के निर्माण/सेवा क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत किये गये मेमोरेण्डम पार्ट–1 एव पार्ट–2 का एकनोलिजमेंट हेल्पडेस्क के माध्यम से उसी दिन जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण व विभिन्न विभागों व संचालित योजनाओं से सम्बंधित वांछित स्वीकृतियां/ अनुमोदनों को उपलब्ध कराने का कर्तव्य भी निर्धारित किया गया है।

iii. निर्णय लेने की विधि जिसमें परीक्षण व जिम्मेदारी सम्मिलित होः–

किसी भी कार्य को सम्पादित करने के निर्णय का अंतिम अधिकार महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र में है। कार्य के सम्पादन हेतु परीक्षण व जिम्मेदारी का प्रारम्भ कार्यालय सहायक से प्रारम्भ, जिला उद्योग केन्द्र, कार्यालय अध्यक्ष तक होता है, जो उपरोक्त के आधार पर अंतिम निर्णय लेते हैं।

iv. क्रियाकलापों के पूर्ण करने के नियम/आधारः–

उद्योग विभाग उ0प्र0 सरकार तथा उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर से समय–समय पर जारी आदेशों, निर्देशों तथा मार्गदर्शन के अनुसार क्रियाकलापों को सम्पादित किया जाता है।

v. रूल्स, रेगुलेशन्स, इन्ट्रक्शंस, मनुअल्स एवं रिकार्डः–

विभाग से संबंधित सभी प्रकार के शासनादेश, निर्देश व मार्गदर्शन जारी किये जाते हैं, वे सभी उद्योग मंत्रालय उ0प्र0 तथा उद्योग निदेशालय, कानपुर से निर्गत होते हैं और उनका रखरखाव व उपलब्धता निदेशालय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर तथा जनपद स्तर पर उपलब्ध होता है।

vi. नियंत्रणाधीन अभिलेखों की श्रेणीः—

जनपद स्तर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उत्पादन व सेवा क्षेत्र के उद्यमों के मेमोरेंडम से सम्बंधित अभिलेख तथा विभाग द्वारा संचालित सभी प्रकार की योजनाओं से सम्बंधित अभिलेख सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं।

vii. परामर्श की व्यवस्थाः—

जिला उद्योग केन्द्र में सभी प्रकार के परामर्श उपलब्ध कराने के लिए एक परामर्श कक्ष/हेल्पडेस्क स्थापित है, जिसमें आगन्तुकों को वांछित जानकारी उपलबध करायी जाती है।

viii. बोर्ड, काउन्सिल, कमेटीः—

जनपद स्तर पर कोई, बोर्ड, काउन्सिल कमेटी नहीं है।

ix. अधिकारी व कर्मचारियों की सूचीः—

1.	महा प्रबन्धक	—	01
2.	प्रबन्धक	—	02
3.	सहायक प्रबन्धक	—	03
4.	सांख्यकीय सहायक	—	01
5.	अंवेषक कम संगणक	—	01
6.	आशुलिपिक	—	01
7.	प्रधान लिपिक	—	01
8.	वरिष्ठ लिपिक	—	02
9.	कनिष्ठ लिपिक	—	04
10.	अनुचर	—	04

x. अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किये जाने वाली मासिक परिलब्धियांः—

जिला उद्योग केन्द्र, बुलन्दशहर में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लाभ की परिलब्धियां प्रति माह उपलब्ध कराई जाती है।

xi. जिला उद्योग केन्द्र को आंवटित बजटः—

निम्न मदों में बजट उपलब्ध कराये जाते हैंः—

1. वेतन	—	4181000.00
2. कंटीजेंसी मद	—	55000.00
3. उद्योग बंधु	—	25000.00

xii. उपादान एवं छूट को उपलब्ध कराये जाने की विधिः—

एम0डी0ए0 योजना, तकनीकी उन्नयन योजना तथा गेटवे पोर्ट तक योजनान्तर्गत उपादान उलब्ध कराया जाता है।

तकनीकी उन्नयन योजनाः—

1. सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों के तकनीक की खरीद और आयात जिसके द्वारा गुणवत्ता में सुधार होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी को मान्यता प्राप्त/सक्षम संस्थानों सरकारी संस्थानों और शोध केन्द्रों से प्राप्त करने में व्यय की गयी धनराशि का 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 2.50 लाख होगी।
2. सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार हेतु वांछित अतिरिक्त मशीनों आदि की व्यवस्था हेतु 50 प्रतिशत पूंजी उपादान देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 2.00 लाख होगी।
3. उपरोक्त(प्रस्तर–2 में अंकित) क्रय की गयी मशीनों और उपकरणों पर वित्तीय निगम या बैंकों से ऋण लिये जाने की दशा में वित्तीय संस्थाओं को देय ब्याज की आंशिक प्रतिपूर्ति करते हुए उपादान देय होगा। ब्याज उपादान 5 प्रतिशत वार्षिक दर से दिया जा सकेगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 50,000/– होगी तथा यह सुविधा 05 वर्ष तक दी जायेगी।
4. आई0एस0आई0 या आई0एस0ओ0 श्रेणी के मानकीकरण प्राप्त किये जाने की दशा में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत उपादान के रूप में देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रू0 2.00 लाख होगी।
5. उत्पादकता कौशल/बाजार तथा तकनीकी के अध्ययन और मान्यता प्राप्त संस्थाओं से परामर्श प्राप्त किये जाने पर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को इस व्यय की 90 प्रतिशत राशि अधिकतम सीमा रू0 50000/– तक अनुदान देय होगा।

<u>त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना–</u>

त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गये माल के भाड़े पर अनुदान सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के समस्त औद्योगिक इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित माल को निर्यात हेतु इनलैण्ड कंटेनर डिपो/कंटेनर फ्रेट स्टेशन के माध्यम से गेटवे पोर्ट तक भेजे जाने पर भाड़े में किये गये व्यय कि प्रतिपूर्ति हेतु भाड़े का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 5000/– प्रति टी0ई0यू0 (20फिट कंटेनर) की दर से प्रदान किया जायेगा, जिसकी प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख तक होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विपणन सहायता योजना–

योजना	दर	प्रतिबन्ध
1. विदेशी व्यापार मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने हेतु अनुदान	स्थल किराये का 60 प्रति0 वायुयान किराये का 50प्रति.	अधिकतम सीमा रू0 1.00 लाख प्रति वर्ष।
2. निर्यातक संघों/औद्योगिक संघों निर्यात प्रोत्साहन काउंसिल के सहप्रयोजन	कुल व्यय का 60 प्रतिशत	अधिकतम सीमा रू0 60,000/– प्रति निर्यातक प्रति वर्ष।

से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता।		
3. विदेशी क्रेता को नमूने भेजने हेतु।	वायुयान अथवा कोरियर से नमूना भेजन पर कुल व्यय का 75 प्रतिशत।	अधिकतम सीमा रू0 50000/– प्रति निर्यातक प्रति वर्ष।
4. गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आई.एस.ओ.–9000/ बी.आई.एस–14000 श्रेणी ऊनी वस्त्रों के लिए वूलमार्क स्वर्ण आभूषण के लिए हाल मार्क, फूड सेफ्टी के लिएएचएसीसीपी एवं विद्युत उपकरणों के लिए सी. मार्क आदि प्राप्त करने हेतु।	कुल व्यय का 50 प्रति.	अधिकतम सीमा रू0 75000/– प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष।

xiii. <u>रेसिपियेन्स ऑफ कन्सेसंस, परमिट्स ऑफ ऑथेराईजेशन ग्रान्टेडः–</u>

शून्य।

xiv. <u>इलैक्ट्रोनिक फार्म में सूचनाः–</u>

शून्य।

xv. <u>नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की सुविधाः–</u>

इस प्रकार की सूचना परामर्श कक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

xvi. <u>पब्लिक इन्फोरमेशन अधिकारी का विवरण(नाम एवं ऑथेरिटी):–</u>

1. श्री वाई0पी0 गुप्ता, जन सूचना अधिकारी।
2. श्री एन0के0 अग्रवाल, सहायक जन सूचना अधिकारी।

xvii. <u>अन्य सूचनाः–</u>

शून्य।

(वाई0पी0 गुप्ता)
महा प्रबन्धक
जिला उद्योग केन्द्र
बुलन्दशहर